



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 1051 - काविनी एवं वे०प्र० - 29 / पाकालि / 2014-7 काविनी / 89

दिनांक 29 नवम्बर, 2014

### कार्यालय झाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को सम्पन्न 110वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सेवानिवृत्ति के पश्चात् संवि पर योजित सेवकों को देय समेकित धनराशि/पारिश्रमिक भुगतान की दरें निर्धारित किये जाने विषय कार्यालय झाप सं० 615-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/13-7 काविनी/89 दिनांक 25 अक्टूबर 2013 द्वारा निर्धारित की गई पारिश्रमिक की दरों को निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	पद, जिससे सम्बन्धित कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ	प्रतिमाह देय पारिश्रमिक के समेकित धनराशि
1.	अवर अभि०, समीक्षा अधि०, अपर निजी सचिव, लेखाकार एवं समकक्ष	रु. 28000/-
2.	सहाय अभि०, अनुअधि०, निजी सचिव (श्रेणी-2), सहाय लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, कार्मिक अधि०, सहाय विधि अधि० एवं समकक्ष	रु. 38000/-
3.	अधि०अभि०, अनु सचिव, उप सचिव, निजी सचिव (श्रेणी-1), निजी सचिव (वि०श्रे०), परिष्क लेखाधिकारी, उप मुख्य लेखाधिकारी, परिष्क कार्मिक अधि०, परिष्क कार्मिक अधिकारी (वि०श्रे०) एवं समकक्ष	रु. 45000/-
4.	अधी०अभि०, संयुक्त सचिव, प्रमुख निजी सचिव, उप महाप्रबन्धक (लेखा) एवं समकक्ष	रु. 55000/-
5.	मु०अभि०-11, अपर सचिव, महा प्रबन्धक (लेखा) एवं समकक्ष	रु. 65000/-
6.	मु०अभि०-1, मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) एवं समकक्ष	रु. 70000/-

2. उपरोक्त के अतिरिक्त कारपोरेशन कार्यहित में निम्नांकित श्रेणी के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरान्त पुनः संवेदा पर योजित किये जाने की दशा में उन्हें प्रतिमाह समेकित देय धनराशि/पारिश्रमिक की दर निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र. सं.	पद, जिससे सम्बन्धित कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ	मानदेय (प्रतिमाह देय पारिश्रमिक) की समेकित धनराशि
1.	अनुसचिव तथा समकक्ष	रु. 10,000/-
2.	टी०जी०-11, लाईनमैन तथा समकक्ष	रु. 17,000/-

(Cont.)



